29/1/17 वकुलाए फरीकेन/वादी/उपस्थित पीठासीन अधिकारी बाहर पधारे हैं आयन्दा पत्रावली दिनांक 31-1-17 को पेश होवे।

31/1/17 वकुलाए फरीकेन उपस्थित अधिवक्तागण ने कार्य स्थगन किया हुआ है। पूर्वादेश पालना में दि० 14.3.17 को पेश होवे।

11/2/17 आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई (इसका पक्षकारों) द्वारा राजीनामा किया जा चुका है अतः लिखा [illegible] पत्रावली को चलाने का कोई औचित्य नहीं है (पत्रावली) [illegible] को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होवे। [illegible]

[illegible] Adv

[illegible]

- नकल प्रमाणितप्रतिफैसला दि० 5/4/15
- नकल प्रमाणितप्रतिपत्रावली डिग्री दि० 5/4/15
दावा - रतिराम बनाम रोशन वगैरा०.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी -कोटकासिम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
72 / 2014	06.05.2014	04-02-2015

उनवान

1. रतिराम
2. जयसिंह
3. रामसिंह
4. अतरसिंह पुत्रान तुल्ला जाति गुर्जरान ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:– वादीगण

बनाम

1. रोशन पुत्र हरफूल
2. सोमदत्त
3. पूरण
4. धर्मचन्द पुत्रान लीला
5. श्योबाई पत्नी लीला
6. भोटाबाई
7. सुमन
8. धोली पुत्रीयान लीला जाति गर्जरान ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
9. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी (लेण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89, राजस्थान कातश्कारी अधिनियम 1955

उपरिथतः
1. श्री कृष्णकुमार यादव, अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

वादी द्वारा एक वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया गया। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात हाल ख0 नं0 608 / 0.1500

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

हैक्ट0 (0–12 बीघा) 632/0.3300 हैक्ट0 (1–06) 744/0.2000 हैक्ट0 (0–16 बीघा) वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) मिन वादीगण के पिताजी तुल्ला पुत्र हरफूल जाति गुर्जर ग्राम खेड़ी के नाम खातेदारी कब्जा काश्त की राजस्व जमाबंदी सम्वत 2029 में दर्ज हो रही है। विवादित आराजीयात पर मिन वादीगण के पिताजी तुल्ला बतौर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे थे परन्तु जमाबंदी सम्वत 2033 राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पैमूद करते समय प्रतिवादी सं0 1 रोशन ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिल्लत कर विवादित आराजी ख0 नं0 608, 744 में अपनी काश्त दर्ज करा ली यानि काश्त रोशन पुत्र हरफूल गुर्जर शिकमी साल 4 दर्ज करा लिया जबकि विवादित आराजीयात ख0 नं0 608, 744 के किसी भी जुज पर कभी भी प्रतिवादी सं0 1 काबिज काश्त नहीं रहा है और ना अब है वो गैरवास्ता गैर काबिज सख्स है। विवादित ख0नं0 608, 744 पर मिन वादीगण के पिताजी तुल्ला ही बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहे उनकी फौतगी के बाद मिन वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। मौके पर मिन वादीगण का वास्तविक कब्जा काश्त है। इसी कदर विवादित आराजी ख0 नं0 632 की राजस्व जमाबंदी सम्वत 2033 पैमूद राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने करते समय प्रतिवादी सं0 2 लगायत 8 के पिता लीला पुत्र बुधा ने 1/2 भाग व चन्दर पुत्र मौजा ने 1/2 भाग राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिल्लत कर अपने नाम शिकमी साल 4 का इन्द्राज करा लिया जिसकी पुनरावृति ताहाल राजंस्व रिकॉर्ड जमाबंदियात में चलती आ रही है। जबकि विवादित आराजी ख0 नं0 632 के किसी भी जुज पर लीला पुत्र बुधा व चन्दर पुत्र मौजा अपने जीवनकाल में कभी भी काबिज काश्त नही रहे। बुधा व चन्दर दोनों ही फौत हो चुके है। लीला की फौतगी के बाद उसके वारिसान प्रतिवादी सं0 2 लगायत 8 का विवादित आराजी पर कभी भी काबिज काश्त नहीं रहे और ना अब है। चन्दर लावल्द बिला औरत फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं0 2 लगायत 8 ही है। जब मिन वादीगण हल्का पटवारी के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने वास्ते नकल जमाबंदी लेने दिनांक 28.04.2014 को गये तो हल्का पटवारी ने बताया कि ख0 नं0 632 पर बकाश्त लीला पुत्र बुधा 1/2 भाग, चन्दर पुत्र मौजा 1/2 भाग शिकमी साल 16 व विवादित ख0 नं0 608, 744 पर बकाश्त रोशन पुत्र हरफूल गुर्जर देह शिकमी 16 साल दर्ज है। जिसको पहले आप दुरूस्त कराओ तभी किसान क्रेडिट कार्ड आप इन नम्बरों पर ले सकेंगे। जिस पर मिन वादीगण ने समस्त राजस्व कागजातों की नकुलात दिनांक 05.05'.2014 को हासिल कर प्रतिवादीगणों से उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु कहा तो वो साफ इंकार हो गये। इसलिए मिन वादीगण विवादित आराजी ख0 नं0 608, 704 की जमाबंदी सम्वत 2033 से लेकर ताहाल राजस्व जमाबंदी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम बकाश्त शिकमी साल 16 दर्ज को कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने के व विवादित आराजी ख0 नं0 632 की जमाबंदी सम्वत 2033 से लेकर ताहाल राजस्व जमाबंदी से प्रतिवादी सं0 2 लगायत 8 के पिता लीला पुत्र बुधा 1/2 भाग व चन्दर पुत्र मौजा 1/2 भाग बकाश्त शिकमी साल 16 का नाम कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। जिसके लिए मिन वादीगण को यह दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

लाजिम आया है। वादपत्र हेतु बिनायदवामी व बिनाय मुखास्मत दिनांक 28.04.2014 व 05.05.2014 को पैदा हुई है जिससे वादपत्र अन्दर अवधि पेश किया है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने से साफ मना कर गये । मिन वादीगण को विवादित आराजीयात को भी बैक में रहन रखकर अति शीघ्र किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है जिससे कि मामला आवश्यक प्रकृति का हो जाने की वजह से प्रतिवादी सं0 9 को वादपत्र में पक्षकार मुकदमा बनाने से पूर्व उसे 80 जाप्ता दीवानी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए उसे रफाऐ उज्रात 80 (2) जाप्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया है । अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री इजराय इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर आराजी हाल ख0 नं0 608/0.1500 हैक्ट0 (0–12 बीघा), 744/0.2000 हैक्ट0 (0–16 बीघा) वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2033 से लेकर ताहाल राजस्व रिकॉर्ड तक में से बकाश्त रोशन पुत्र हरफूल गुर्जर साकिन देह शिकमी साल 16 को हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व आराजी हाल ख0 नं0 632/0.3300 हैक्ट0 (1–06 बीघा) वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2033 से लेकर ताहाल राजस्व रिकॉर्ड तक में से बकाश्त लीला पुत्र बुधा 1/2 भाग, चन्दर पुत्र मौजा 1/2 भाग शिकमी साल 16 को हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रतिवादीगण 1 से 8 ने इकबाल दावा पेश किया व प्रतिवादी 9 पैरोकार सरकार ने राज्य हित नहीं होना जवाब में अंकित किया। वादीगण की ओर से दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत 2029, 2033, 2070 से 2073 पेश की गई तथा साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू 1 अतरसिंह का शपथपत्र पेश किया।

वादीगण के विद्वान अधिवक्तागण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजीयात हाल ख0 नं0 608/0.1500 हैक्ट0 (0–12 बीघा) 632/0.3300 हैक्ट0 (1–06) 744/0.2000 हैक्ट0 (0–16 बीघा) वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) मिन वादीगण के पिताजी तुल्ला पुत्र हरफूल जाति गुर्जर ग्राम खेड़ी के नाम खातेदारी कब्जा-काश्त राजस्व जमाबंदी सम्वत 2029 में दर्ज हो रही है। विवादित आराजीयात पर मिन वादीगण के पिताजी तुल्ला बतौर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे थे परन्तु जमाबंदी सम्वत 2033 पैमूद करते समय राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों व प्रतिवादी सं0 1 रोशन पुत्र हरफूल गुर्जर ने मिल्लत कर विवादित आराजी ख0 नं0 608, 744 में

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अपनी काश्त शिकमी साल 4 दर्ज करा ली । इसी प्रकार विवादित आराजी ख0 नं0 632 की राजस्व जमाबंदी सम्वत 2033 पैमूद करते समय राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों एवं प्रतिवादी सं0 2 लगायत 8 के पिता लीला पुत्र बुधा व चन्दर पुत्र मौजा ने मिल्लत कर 1/2 भाग – 1/2 भाग अपने नाम शिकमी साल 4 का इन्द्राज करा लिया जिसकी पुनरावृति ताहाल राजंस्व रिकॉर्ड जमाबंदियात में चलती आ रही है। चन्दर लावल्द बिला औरत व लीला दोनों ही फौत हो चुके है। विवादित आराजी ख0 नं0 608, 744 के किसी भी जुज पर प्रतिवादी 1 रोशन पुत्र हरफूल गुर्जर, व ख0 नं0 632 के किसी भी जुज पर लीला पुत्र बुधा व चन्दर पुत्र मौजा अपने जीवनकाल में, लीला व चन्दर की फौतगी के बाद उनके वारिसान प्रतिवादी सं0 2 लगायत 8 कभी भी काबिज काश्त नही रहे। और ना अब है। प्रतिवादीगण गैरवास्ता गैर काबिज सख्स है। जब मिन वादीगण हल्का पटवारी के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, नकल जमाबंदी लेने दिनांक 28.04.2014 को गये तो पटवारी ने बताया कि ख0 नं0 632 पर बकाश्त लीला पुत्र बुधा 1/2 भाग, चन्दर पुत्र मौजा 1/2 भाग शिकमी साल 16 व विवादित ख0 नं0 608, 744 पर बकाश्त रोशन पुत्र हरफूल गुर्जर सा0देह शिकमी 16 साल दर्ज है। जिसको दुरूस्त कराओ तभी किसान क्रेडिट कार्ड आप इन नम्बरों पर ले सकेंगे। तत्पश्चात मिन वादीगण ने समस्त राजस्व रिमार्ड की नकुलात दिनांक 05.05'.2014 को प्राप्त कर प्रतिवादीगणों से उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु कहा तो वो साफ इंकार हो गये। इसलिए मिन वादीगण विवादित आराजी ख0 नं0 608, 704 की जमाबंदी सम्वत 2033 से लेकर ताहाल राजस्व जमाबंदी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम बकाश्त शिकमी साल 16 दर्ज को कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने के व विवादित आराजी ख0 नं0 632 की जमाबंदी सम्वत 2033 से लेकर ताहाल राजस्व जमाबंदी से प्रतिवादी सं0 2 लगायत 8 के पिता लीला पुत्र बुधा 1/2 भाग व चन्दर पुत्र मौजा 1/2 भाग बकाश्त शिकमी साल 16 का नाम कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। जिसके लिए मिन वादीगण को यह दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है। वादपत्र हेतु बिनायदवामी व बिनाय मुखास्मत दिनांक 28.04.2014 व 05.05.2014 को पैदा हुई है जिससे वादपत्र अन्दर अवधि है। मिन वादीगण को विवादित आराजीयात को बैंक में रहन रखकर अति शीघ्र किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है जिससे मामला आवश्यक प्रकृति का हो जाने की वजह से प्रतिवादी सं0 9 को 80 जाप्ता दीवानी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं हुआ। इसके लिए रफाऐ उजात 80 (2) जाप्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र अलग किया है । अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री इजराय इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज परित की जाकर विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2033 से लेकर ताहाल राजस्व रिकॉर्ड में से बकाश्त रोशन पुत्र हरफूल गुर्जर साकिन देह शिकमी साल 16 व बकाश्त लीला पुत्र बुधा 1/2 भाग, चन्दर पुत्र मौजा 1/2 भाग शिकमी साल 16 को हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

Scanned by CamScanner

मेरे द्वारा वादीगण के विद्वान अधिवक्तागण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य पर भी गौर किया गया। विवादित आराजीयात जमाबंदी सम्वत 2029 में वादी के पिता तुल्ला की खातेदारी में स्पष्ट दर्ज है। सम्वत 2033 में विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजो के नाम राजस्व कर्मचारियान द्वारा बिना किसी आदेश के दर्ज किया जाना पाया गया है। दस्तावेजो के अवलोकन से यह भी स्पष्ट नहीं है कि मूल खातेदारों के साथ शिकमी काश्तकारों द्वारा कब्जा किस प्रकार धारित किया गया है। प्रतिवादीगणों द्वारा विवादित आराजीयात पर वादीगण के पक्ष में इकबाल दावा भी पेश किया गया है। इसलिए विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगणों का नाम बकाश्त शिकमी साल 16 हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने पर कोई कानूनी व्यवधान प्रतीत नहीं है।

COURT FEE INDIA भारत दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

आदेश

वादीगण का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजीयात हाल ख0 नं0 608/0.1500 हैक्ट0 (0–12 बीघा) 744/0.2000 हैक्ट0 (0–16 बीधा) वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2033 से ताहाल राजस्व रिकॉर्ड में से बकाश्त रोशन पुत्र हरफूल गुर्जर साकिन देह शिकमी साल 16 को व ख0 नं0 632/0.3300 हैक्ट0 (1–06) बीघा वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2033 से ताहाल राजस्व रिकॉर्ड में से बकाश्त लीला पुत्र बुधा 1/2 भाग, चन्दर पुत्र मौजा 1/2 भाग शिकमी साल 16 को हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दालिख दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04-02-2015 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रमाणित प्रति

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

(बलवन्त सिंह तिवारी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner